कार्यालय कलेक्टर (पंचायत शाखा), जिला–सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक/1629/स्था./प्र.मं.आ.यो.–ग्रा./प.नि./2024 सारंगढ़ दिनांक 26/09/2024

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक/एफ3–1/22–2/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.08.2024 में दिए गए स्वीकृति के आधार पर संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र./1251/PMAY-G/स्था./31/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार एवं जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत की गई अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत जिले के जनपद पंचायतों में **विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर** के संविदा रिक्त पद पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन **दिनांक 14.10.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक कार्यालय, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला पंचायत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)** के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के संविदा रिक्त पद पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, पदों की संख्या, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिले के जनपद पंचायतों, तथा कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सूचना पटल एवं जिले के वेब साईट https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।

कलेक्टर
जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1631/स्था./प्र.मं.आ.यो.–ग्रा./प.नि./2024 सारंगढ़ दिनांक 26/09/2024

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
03. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
04. विकास आयुक्त कार्यालय विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
05. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
06. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
07. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
08. अध्यक्ष/सचिव/सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ....जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .... जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर
जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (पंचायत शाखा), जिला–सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमांक/1630/स्था./प्र.मं.आ.यो.–ग्रा./प.नि./2024 सारंगढ़ दिनांक 26/09/2024

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक/एफ3–1/22–2/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.08.2024 में दिए गए स्वीकृति के आधार पर संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र./1251/PMAY-G/स्था./31/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार एवं जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत की गई अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत जिले के जनपद पंचायतों में **विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर** के संविदा रिक्त पद पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन **दिनांक 14.10.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक कार्यालय, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला पंचायत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)** के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

विकासखण्ड में संविदा रिक्त पदों का पदनाम, संख्या व संवर्गवार पद का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	जनपद पंचायत का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी				
			अनारक्षित मुक्त	अ.पि.वर्ग मुक्त	अनुसूचित जाति मुक्त	अनुसूचित जनजाति मुक्त	कुल
1	विकासखण्ड समन्वयक	बरमकेला	1	0	0	0	1
		योग :–	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
2	तकनीकी सहायक	बिलाईगढ़	0	0	1	0	1
		योग :–	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	बरमकेला	1	0	0	0	1
		योग :–	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

01. शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन :–

क्र.	पदनाम	संविदा वेतन	निर्धारित अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1	विकासखण्ड समन्वयक	39875/– (लेवल 10)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.ई./बी.टेक में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण **अथवा** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	हायर सेकण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	20
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों पर Weightage देते हुए	30
				शासकीय/गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंको का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) **अधिकतम 20 अंक**	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंको का Weightage देते हुए	20
				साक्षात्कार पर 100 अंको का Weightage देते हुए	10

			कार्य अनुभव	साक्षात्कार पर 100 अंको का Weightage देते हुए	10
				प्राथमिकता 1. शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव को प्राथमिकता। 2. निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता	
2	तकनीकी सहायक	35165/– (लेवल 9)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.ई./बी.टेक/डिप्लोमा (सिविल इंजीनियरिंग) न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण **अथवा** 2. उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में बी.ई./बी.टेक/डिप्लोमा (किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण **अथवा** 3. उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में एम.एस.सी. (गणित/भौतिक) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण	हायर सेकण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	20
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों पर Weightage देते हुए	30
				शासकीय/गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंको का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) **अधिकतम 20 अंक**	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंको का Weightage देते हुए	20
				साक्षात्कार पर 100 अंको का Weightage देते हुए	10
				प्राथमिकता शासकीय व गैर शासकीय संस्थाओं में निर्माण कार्य में कार्य अनुभव को प्राथमिकता	
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	23350/– (लेवल 6)	छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार	हायर सेकण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	30
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों पर Weightage देते हुए	30
				शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंको का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) **अधिकतम 20 अंक**	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	20
				प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में कार्यानुभव को प्राथमिकता	

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं भार्तें निम्नवत् है :–

01. निर्धारित प्रारूम में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला पंचायत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के नाम से दिनांक 14.10.2024 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

02. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 सितम्बर 2024 के आधार पर की जावेगी।

03. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

04. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

05. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

06. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्श के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

07. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिनांक 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त भार्तें लागू होगी।

08. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।

09. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेशन, उपादना या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

12. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदउपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।

13. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

16. लिफाफे के ऊपर आवेदित पर का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

17. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।

18. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

19. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करनें का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

20. नियुक्ति के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

21. आवेदक एक से अधिक जनपद पंचायतों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जनपद पंचायतों में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त मानाा जावेगा।

22. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला पंचायत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सूचना पटल, जिले के जनपद पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेब साईट https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in/notice_category/भर्ती/से अवलोकन किया जा सकता है।

23. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगें।

24. दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जायेगे।

25. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)